

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड एवं हिमाचल राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई - 45 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी - विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक और (पांवटा साहिब बाईपास) के किमी 97.000 से किमी 104.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है०,) अर्थात कुल 24.1884 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-विकासनगर) की दिनांक 7.12.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनायक कुमार..... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री विनायक कुमार..... उपजिलाधिकारी विकासनगर (देहरादून) अध्यक्ष
2. श्री बी०डी० सक्कानी..... उप प्रभागीय जिलाधिकारी, सहसपुर सदस्य
3. श्री युवा पाल..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री उमेश कुमार..... बी०डी०सी० क्षेत्र सहसपुर सदस्य

उप-प्रभागीय जिलाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
पम्बसी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०बु०-यमन कडर, देहरादून



वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकानगर, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून)) के किमी 104.000 से किमी 149.000 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु (आरक्षित वनभूमि 24.1884 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 24.1884 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- विकासनगर,
जनपद-देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-विकासनगर,
जनपद-देहरादून




परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पिंडौरा-दुर्गेश्वर नगर, देहरादून